



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237672
CG-DL-E-29072022-237672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3305]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944

No. 3305]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3470(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-20 के कि.मी 7.3 से 8.4 बड़ावता में खरश्चोता नदी पर एचएल ब्रिज का पुनर्निर्माण के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-20 के कि.मी 7.3 से 8.4 बड़ाबंता में खरश्रोता नदी पर एचएल
ब्रिज का पुनर्निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम						
1	2	3	4	5	6	7						
1	अतिरिक्त तहसीलदार, जाजपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH20 के कि.मी. 7.3 से 8.4 तक	उड़ीसा	जाजपुर	जाजपुर	<table><tr><td>1</td><td>उप्परबारुहौँ -८२</td></tr><tr><td>2</td><td>बड़बन्त- १८१</td></tr><tr><td>3</td><td>मीरजापुर -१८०</td></tr></table>	1	उप्परबारुहौँ -८२	2	बड़बन्त- १८१	3	मीरजापुर -१८०
1	उप्परबारुहौँ -८२											
2	बड़बन्त- १८१											
3	मीरजापुर -१८०											

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S.O. 3470(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for the work "reconstruction of HL bridge over river Kharasrota at Badabanta from km 7/300 to 8/400 on NH-20" in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 20 for construction of bridge over river Kharasrota at Badabanta from km 7/300 to 8/400 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Additional Tahasildar, Jajpur	7.3 Km. To 8.4 Km.	ODISHA	Jajpur	Jajpur	<table><tr><td>1</td><td>Upparbaruhan-82</td></tr><tr><td>2</td><td>Badabanta-181</td></tr><tr><td>3</td><td>Mirjapur-180</td></tr></table>	1	Upparbaruhan-82	2	Badabanta-181	3	Mirjapur-180
1	Upparbaruhan-82											
2	Badabanta-181											
3	Mirjapur-180											

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director